भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 83

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022 को दिया जाना है।

.....

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 का कार्यान्वयन

83. श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने राज्यों ने 30 जून, 2022 की अधिदेशित समयसीमा से पहले बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति (एससीडीएस) और राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन किया है;

(ख) क्या एससीडीएस या एसडीएसओ गठित न करने वाले राज्यों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जैसा कि अधिनियम में उल्लिखित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने राज्यों के लिए एससीडीएस और एसडीएसओ का गठन करने हेतु नई समयसीमा तय की है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क): राज्यों सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर 20 राज्यों ने बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति (एससीडीएस) गठित की और 16 राज्यों ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) स्थापित किए।

(ख) से (घ): केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण उन राज्य सरकारों से संपर्क कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति (एससीडीएस) एवं राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) का गठन नहीं किया है। परिणामस्वरूप, 30 जून, 2022 की अनिवार्य समय-सीमा के बाद, दिनांक 12.07.2022 तक 3 और राज्यों ने बांध सुरक्षा संबंधी राज्य समिति (एससीडीएस) का गठन किया है और 4 और राज्यों ने राज्य बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएसओ) की स्थापना की है।

*****